

राजस्थान सरकार
रोजगार विभाग

क्रमांक:- प.33(1)कोम्प/एसएसडीजी/2010/

दिनांक:-25.09.2013

कार्यालय आदेश

विषय:- चिन्हित सेवाओं हेतु आवेदन अनिवार्यतः स्टेट पोर्टल एवं स्टेट सर्विस सेवा डिलिवरी गेटवे (SSDG) के माध्यम से 26.09.2013 से ऑन-लाइन प्राप्त करना।

भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अनुसार आम जन के लिए सरकारी सेवाओं को आसानी से उपलब्ध करवाने हेतु, राजस्थान सरकार द्वारा स्टेट पोर्टल एवं स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे का क्रियान्वन 26 सितम्बर 2013 से किया जा रहा है। इस विभाग की निम्नलिखित सेवाएँ पोर्टल एवं डिलिवरी गेटवे के माध्यम से दी जायेगी :-

1. रोजगार पंजीकरण
2. रोजगार पंजीकरण का नवीनीकरण

उपरोक्त सेवाओं को प्राप्त करने हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:-

(अ) कियोस्क के माध्यम से आवेदन किये जाने पर

- (1) नागरिक खाली आवेदन पत्र को पोर्टल से डाउनलोड कर सकेगा। हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा करवायेगा।
- (2) कियोस्ककर्ता मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड (scan & upload) करेगा।
- (3) कियोस्ककर्ता आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद देगा।
- (4) उक्त सेवाओं के लिए कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर (आवेदक का पंजीकरण, ई-प्रपत्र को भरना, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों को स्कैन एवं अपलोड करना, तथा छपी हुई प्राप्ति रसीद देने आदि की गतिविधि कियोस्क संचालक द्वारा किये जाने के लिए) 30 रुपये कियोस्क शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसे छः माह तक राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। आवेदन के पश्चात्, आवेदक द्वारा कियोस्क के माध्यम से आवेदन पर हुई कार्यावाही की वस्तु स्थिति की छपी हुई जानकारी प्राप्त करने, ई-प्रपत्र का सम्पादन करने, एवं विभागीय पूछताछ का उत्तर देने के लिए, प्रत्येक गतिविधि के लिए 5 रुपये कियोस्क शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसे आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।
- (5) भरे हुए ई-प्रपत्र मय दस्तावेज सहित तुरन्त विभाग के कार्यालयों से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को ऑन-लाईन उपलब्ध हो जायेंगे।

- (6) संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा, उपलब्ध आवेदन पत्रों को डाउनलोड कर आवश्यक कार्यवाही करनी होगी एवं समय-समय पर आवेदनों की वस्तु-स्थिति (status) का अद्यतन (update) करना होगा,
- (7) इन सेवाओं से संबंधित वस्तु-स्थिति (status) एवं आदेश/प्रमाणपत्र/मंजूरी इत्यादि आवेदकों को ऑन-लाईन उपलब्ध करवायी जायेगी। जिसे आवेदकों द्वारा कियोस्क के माध्यम से छापकर (print-out) प्राप्त किया जा सकता है।
- (8) मूल दस्तावेजों को कियोस्ककर्ता लोकल सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से महीने में एक बार संबंधित विभाग के कार्यालयों में भिजवाया जायेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी जायेगी।

(ब) आवेदक द्वारा स्वयं ही ऑन-लाईन आवेदन किये जाने पर

- (1) आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड (scan & upload) करेगा।
- (2) आवेदक, आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- (3) आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी जायेगी।

उपरोक्त सेवाओं को 26 सितम्बर 2013 से आवश्यक रूप से कियोस्क के माध्यम से ही उपलब्ध करवायें।

/

(हंसा सिंहदेव)
निदेशक,
रोजगार विभाग

क्रमांक:- प.33(1)कोम्प/एसएसडीजी/2010/30485-532 दिनांक:-25.09.2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैं :-

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
6. निजी सहायक, निदेशक, रोजगार विभाग, जयपुर (राजस्थान)
- ✓ 7. समस्त विभागीय अधिकारी, रोजगार विभाग, समस्त राजस्थान
8. रक्षित पंजिका

/

उप निदेशक(प्र.),
रोजगार विभाग